JALAUN POLICE

दिनांक – 04.11.2026

कोतवाली कालपी, उरई, कदौरा पुलिस व स्वाट की संयुक्त टीम द्वारा वांछिंत व 100,000 रु/- का इनामिया शातिर अभियुक्त को पुलिस मुठभेड़ के दौरान घायल कर गिरफ्तार किया गया, कब्जे से अवैध असलहा जिन्दा/खोखा कारतूस, बरामद।

अवगत कराना है कि दिनांक 31.10.2026 को जनपद जालौन के थाना कालपी क्षेत्रांतर्गत कालपी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष गयादीन अहिरवार को किसी व्यक्ति द्वारा केस के सिलसिले में बातचीत करने और चाय पीने के बहाने गाड़ी में बैठाकर अपहरण कर लिया गया था। परिजनों द्वारा काफी खोजबीन के पश्चात पुलिस को घटना की सूचना दी गयी थी तथा वादी द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र के आधार पर कोतवाली कालपी पर मु0अ0सं0 247/26 धारा 140(1)/103(1)/61(1)/238/3(5) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

अपर पुलिस महानिदेशक महोदया, कानपुर जोन, कानपुर श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ एवं पुलिस महानिरीक्षक महोदय, झांसी परिक्षेत्र, झांसी श्री आकाश कुलहरि के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक जालौन श्री सुरेश चन्द्र रावत के कुशल पर्यवेक्षण व अपर पुलिस अधीक्षक जालौन डॉ0 ईशान सोनी के नेतृत्व में वांछित व गैंगस्टर अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 04.11.2026 को चेकिंग के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि जोल्हूपुर-मदारीपुर जो रोड है, यहाँ पर एक संदिग्ध व्यक्ति असलहे के साथ में दिखाई दिया है। उक्त सूचना के क्रम में कोतवाली कालपी, उरई, कदौरा पुलिस व स्वाट की संयुक्त टीम को रवाना किया गया, कोऑर्डिनेटेड सर्च ऑपरेशन जारी किया गया। उक्त ऑपरेशन के दौरान घेराबंदी की जा रही थी तभी शातिर अभियुक्त के द्वारा पुलिस के ऊपर दो राउंड फायर किया गया। पुलिस टीम बाल-बाल बची तथा आत्मरक्षार्थ जवाबी एवं नियंत्रित फ़ायरिंग की गई, जिसमें पुलिस मुठभेड़ में मु0अ0सं0 247/26 धारा 140(1)/103(1)/61(1)/238/3(5) बीएनएस में वांछित व 1,000,00/-(एक लाख रुपये) का इनामिया अभियुक्त पवन यादव उर्फ मोनू यादव पुत्र अजय यादव उम्र करीब 24 वर्ष नि0 मो0 तरुण विहार थाना गुजैनी जनपद कानपुर नगर के दोनों पैरों में गोली लगने से घायल हो गया। घायल/गिरफ्तार अभियुक्त पवन यादव उर्फ मोनू यादव को मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुये तत्काल उपचार हेतु जिला अस्पताल, उरई भिजवाया गया है, जिसके कब्जें से मोबाइल, अवैध असलहा, ज़िंदा व खोखा कारतूस बरामद किए गये हैं।

पुलिस मुठभेड़/बरामदगी के संबंध में कोतवाली कालपी पर मु0अ0सं0 250/26 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है।

पूर्व में घटना से संबंधित 04 अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा चुकी है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

1- पवन यादव उर्फ मोनू यादव पुत्र अजय यादव उम्र करीब 24 वर्ष नि0 मो0 तरुण विहार थाना गुजैनी जनपद कानपुर नगर

बरामदगी का विवरण-

1- 01अदद देशी तमंचा 315 बोर नाजायज
2- 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज
3- 02 अदद खोखा कारतूस 315 बोर नाजायज
4- 01 एक अदद स्पलेण्डर प्लास काला रंग की मोटर साईकिल
5- 01 अदद मोबाइल रियल मी कम्पनी सिल्वर रंग

अभि0 का अपारधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 247/2026 धारा 140(1)/ 103(1)/61(2)/238/3(5) बीएनएस थाना कोत0कालपी जनपद जालौन
2. मु0अ0सं0 406/2021 धारा 147/ 323/354 भादवि थाना बर्रा दक्षिणी (कमिश्नरेट कानपुर नगर)
3. मु0अ0सं0 110/2023 धारा 304/323/336/354/427/506/511 भादवि थाना गुजैनी दक्षिणी (कमिश्नरेट कानपुर नगर)
4. मु0अ0सं0 137/2024 धारा 304/323/336/354/427/506/511 भादवि थाना गुजैनी दक्षिणी (कमिश्नरेट कानपुर नगर)
5. मु0अ0सं0 44/2025 धारा 125/191(2)/296/324(4)/351(3)/352 बीएनएस थाना गुजैनी दक्षिणी (कमिश्नरेट कानपुर नगर)

पुलिस टीम का विवरण-

1- प्र0नि0 कोतवाली उरई मय टीम
2- प्र0नि0 कोतवाली कालपी मय टीम
3- थानाध्यक्ष कदौरा मय टीम
4- स्वाट टीम जनपद जालौन